



# प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

फार्म संख्या :—

आवेदन पुस्तिका का मूल्य ₹ 1,180.00  
(पुस्तिका मूल्य ₹ 1,000 + 18 % GST)

ठेकेदारों के तीन वित्त वर्षीय पंजीकरण / नवीनीकरण / उच्चीकरण हेतु

आवेदन पुस्तिका एवं नियमावली

सिविल श्रेणी					विद्युत कार्य	उद्यान कार्य
ए	बी	सी	डी	ई		

फर्म का नामः— मेसर्स.....

नोटः—सिविल / विद्युत एवं हार्टीकल्वर (उद्यान) का कार्य के पंजीकरण / नवीनीकरण / उच्चीकरण हेतु अलग—अलग फार्म भरना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र भरने से पूर्व फार्म में उल्लिखित नियमों / शर्तों को भलि—भौति पढ़ लें एवं स्वच्छ लिपि में विवरण अंकित करें। अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

## ठेकेदारों का पंजीकरण, नवीनीकरण एवं उच्चीकरण हेतु नियम एवं शर्तें

प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज में निर्माण, विकास, विद्युत एवं उद्यान के कार्यों हेतु तीन वित्तीय वर्ष हेतु पंजीकरण, नवीनीकरण एवं उच्चीकरण हेतु निम्न शर्तों को पूर्ण करते हुए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 आदेश सं0 6069/आठ-1-07/64/बैठक/06 दिनांक 11.03.2008 के आदेशानुसार निम्न प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

1. समस्त वांछित प्रपत्र चेक-लिस्ट के अनुसार सीरियल से संलग्न किये जाय।
2. आवेदनकर्ता/आवेदनकर्ताओं को प्रत्येक पृष्ठ पर मोहर सहित हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
3. पी0डब्लू0डी0 टी0-4 (चरित्र प्रमाण पत्र), पी0डब्लू0डी0 टी0-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) जिलाधिकारी द्वारा नवीनतम जारी जो पंजीकरण, नवीनीकरण व उच्चीकरण हेतु आवेदित वित्तीय वर्ष तक मान्य हो, दाखिल करना होगा। जो एक ही निर्धारित श्रेणी पर पंजीकरण, नवीनीकरण एवं उच्चीकरण हेतु मान्य होगा। इस संबंध में किसी प्रकार का शपथ पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
4. शासनादेश संख्या: 14/2017/2170/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 13.12.2017 के बिन्दु-3 (अ) अनुसार पी0डब्लू0डी0 टी0-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) दो या अधिक साझेदारों वाली फर्म/कम्पनी के नाम से पंजीकरण कराते समय फर्म/कम्पनी के नाम का हैसियत प्रमाण पत्र मान्य होगा। इस संबंध में किसी प्रकार का शपथ पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
5. शासनादेश संख्या: 14/2017/2170/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 13.12.2017 के बिन्दु 3 (ब) अनुसार पी0डब्लू0डी0 टी0-5 (हैसियत प्रमाण पत्र) आवेदित फर्म के एकल स्वामित्व (सोले प्रोपराइटर) के नाम का होना अनिवार्य है। इस संबंध में किसी प्रकार का शपथ पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
6. पी0डब्लू0डी0 टी0-6 (शपथ पत्र) ₹0 100.00 के जनरल स्टाम्प ऐपर पर नोटरी सत्यापित कराकर स्व-घोषणा पत्र अनुबंध दाखिल करना होगा।
7. आयकर, पैन नम्बर, दाखिल करना होगा।
8. वाणिज्यक कर (टिन)/जी0एस0टी0 नम्बर दाखिल करना होगा।
9. लेबर रजिस्ट्रेशन, ई0पी0एफ0 पंजीकरण प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा।
10. अपने संपर्क हेतु अपना मोबाइल/दूरभाष नम्बर दाखिल करना अनिवार्य होगा।
11. विगत तीन वर्षों के कार्य अनुभव/कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र को संलग्न करना अनिवार्य होगा। अनुभव के आधार पर ही पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण किया जायेगा। बिना कार्य अनुभव/कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र के पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण नहीं किया जायेगा।
12. फर्म में पार्टनर होने की स्थिति में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
13. सिविल/विद्युत/उद्यान के कार्यों हेतु अलग-अलग पंजीकरण, नवीनीकरण एवं उच्चीकरण कराना होगा।
14. बिजली के कार्यों के लिये बिजली का 'ए' श्रेणी का लाइसेन्स जो पंजीकरण/नवीनीकरण के वित्तीय वर्ष के लिये वैध हो लगाना अनिवार्य होगा, बिना नवीनीकृत लाइसेन्स के विद्युत कार्यों हेतु किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

15. यदि पंजीकरण कराने वाले किसी ठेकेदार का अपराधिक इतिहास पाया जाय तो उसका पंजीकरण न किया जाय तथा पूर्व में पंजीकृत ठेकेदार का अपराधिक इतिहास पाये जाने पर उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
16. यदि यह पाया जाता है, कि कोई ठेका किसी व्यक्ति के नाम स्वीकृत किया गया है परन्तु वास्तव में वह कार्य किसी अन्य अपराधी व्यक्ति द्वारा कराया जा रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को दिये गये ठेके निरस्त कर दिये जायेंगे।
17. अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के ठेकेदारों तथा बेरोजगार इंजीनियर ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु न्यूनतम आवश्यक हैसियत की धनराशि तथा सामान्य धनराशि की निर्धारित सीमा में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
18. निर्धारित श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार/फर्म पंजीकृत श्रेणी से एक श्रेणी नीचे की श्रेणी में ही निविदा में प्रतिभाग करने हेतु अनुमन्य होंगे।

किसी भी कार्यादिवस पर कार्यालय से उपरोक्त से सम्बन्धित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण, नवीनीकरण एवं उच्चीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कर मुख्य अभियन्ता कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण, नवीनीकरण एवं उच्चीकरण प्रपत्र प्राधिकरण की वेबसाइट [pdaprayagraj.in](http://pdaprayagraj.in) से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। प्रपत्र प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में प्रपत्र शुल्क नगद/बैंक ड्राफ्ट के साथ सचिव, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय होगी, जो वापस नहीं होगा।

ठेकेदारों के विभिन्न श्रेणियों में नवीनीकरण व उच्चीकरण इनके पिछले तीन वर्षों के कार्य के अनुभव को देखते हुए निर्धारित प्रपत्रों की जांच उपरान्त यथा उपर्युक्त श्रेणी में किया जायेगा।

## चेक लिस्ट

(सीरियल से प्रपत्र संलग्न करें)

क्र०सं०	विवरण
1.	आवेदन पुस्तिका शुल्क की जमा रसीद संख्या.....दिनांक..... की स्व-प्रमाणित प्रति।
2.	चरित्र प्रमाण पत्र संख्या.....दिनांक.....
3.	हैसियत प्रमाण पत्र संख्या.....दिनांक.....
4.	पार्टनरशिप डीड (यदि पार्टनर है) तो पंजीकृत प्रति की स्व-प्रमाणित प्रति
5.	पैन कार्ड संख्या.....
6.	<u>आयकर रिटर्न (विगत 03 वर्षों का)</u> (1) वर्ष..... (2) वर्ष..... (3) वर्ष.....
7.	जी०एस०टी० नम्बर .....
8.	लेबर रजिस्ट्रेशन .....
9.	ई०पी०एफ० रजिस्ट्रेशन .....
10.	ई०एस०आई० संख्या .....
11.	फर्म के प्रोपराइटर/साझेदार/अधिकृत प्रतिनिधि का आधार संख्या—
12.	<u>अनुभव प्रमाण पत्र (विगत 03 वर्षों का)</u> (1) वर्ष..... रु०..... (2) वर्ष..... रु०..... (3) वर्ष..... रु०.....
13.	नवीनीकरण/उच्चीकरण हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्गत फर्म पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति
14.	<u>तकनीकी स्टॉफ</u> आवेदक द्वारा कार्य की आवश्यकतानुसार आवश्यक तकनीकी स्टॉफ की उपलब्धता के सम्बन्ध में शपथ पत्र देना होगा।
15.	<u>दूल्स एण्ड मशीनरी</u> आवेदक के पास स्वंय का अथवा लीज़, हायर परचेज अनुबन्ध के आधार पर वर्किंग कण्डीशन में कार्य की आवश्यकतानुसार सभी संयंत्र, उपकरण, औजार आदि की उपलब्धता है, के सम्बन्ध में शपथ पत्र देना होगा।
16.	विद्युत कार्य हेतु उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद द्वारा निर्गत 'ए' श्रेणी के लाइसेन्स की नवीनीकृत प्रति।

17.	उद्यान कार्य हेतु सम्बन्धित फर्मों द्वारा कराये गये कार्य का तीन वर्षों का अनुभव एवं उद्यान कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों का विवरण संलग्न करना होगा।
18.	आवेदकों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि प्रस्तुत किये गये अभिलेख यदि असत्य अथवा कूटरचित पाये जाते हैं, तो फर्म के पंजीकरण को निरस्त करते हुये विभाग विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा।

**नाम/फर्म का नाम—**

**हस्ताक्षर—**

**हस्ताक्षरकर्ता का नाम—**

**(मोहर सहित)**

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,  
प्रयागराज विकास प्राधिकरण,  
प्रयागराज।

फर्म संख्या :-

विषय: प्रयागराज विकास प्राधिकरण में ठेकेदारी के तीन वित्त वर्षीय पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण हेतु आवेदन पत्र।

मैं/हम विकास प्राधिकरण प्रयागराज में निम्न कार्यों हेतु वर्ष ..... में  
कार्य हेतु.....श्रेणी में पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण करवाना चाहता/चाहते हैं/हूँ।

वर्ग— सिविल (भवन निर्माण/विकास/शिरोपरि जलाशय/आदि) कार्य/हार्टीकल्चर (उद्यान) कार्य अथवा  
विद्युतीकरण कार्य।

1. फर्म का नाम : .....

नाम : .....

पता(फोन नं० सहित) : .....

.....मोबाइल न०.....

ई—मेल.....

2. अनुबन्ध/निविदा प्रपत्र आदि पर हस्ताक्षर हेतु मान्य व्यक्ति

1. नाम.....नमूने का हस्ताक्षर.....

2. नाम.....नमूने का हस्ताक्षर.....

3. नाम.....नमूने का हस्ताक्षर.....

3. के नाम तथा पद

1. .....

2. .....

3. .....

4. स्वामी अथवा भागीदारों के राजपत्रित/प्राधिकरण अधिकारी द्वारा सत्यापित फोटो

नाम.....

नाम.....

नाम.....

प्रोपराटर का

नवीनतम पासपोर्ट  
साइज फोटो पर  
क्रास हस्ताक्षर

साझीदार का

नवीनतम पासपोर्ट  
साइज फोटो पर  
क्रास हस्ताक्षर

साझीदार का

नवीनतम पासपोर्ट  
साइज फोटो पर  
क्रास हस्ताक्षर

पता.....

पता.....

पता.....

मोबाइल नं0.....

मोबाइल नं0.....

मोबाइल नं0.....

5. श्रेणी ए, बी तथा सी के ठेकेदारों हेतु नियमित रूप से रखे गये सिविल कार्यों हेतु सिविल इंजीनियर तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का विवरण—

(अ) इंजीनियर का नाम : .....

(प्रमाण पत्र की सत्यप्रति संलग्न करें)

(ब) स्थायी पता(फोन नं0 सहित) : .....

(स) वर्तमान निवास का पता(फोन नं0 सहित) : .....

6. पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण हेतु आवश्यक शुल्क रूपये .....प्राधिकरण के कैश काउन्टर (बैंक) में रसीद संख्या.....दिनांक ..... को जमा किया गया जिसकी छायाप्रति संलग्न है (यह धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं होगी)।

7. मै/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि मेरा/हमारा या हमारे साझीदार का कोई निकट संबंधी प्रयागराज विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है/कार्यरत है तथा उसका विवरण निम्न प्रकार है निकट संबंधी से तात्पर्य माता—पिता, भाई—बहन अथवा उनका परिवार, साला, पुत्र—पुत्री या उनका परिवार ससुर—सास, स्वयं का चचेरा भाई, पत्नी, पौत्री, दादी, सगा मामा से है (यदि कोई संबंधी कार्यरत है तो उसका नाम, विभाग एवं पदनाम दिया जाये)।

नाम : .....

विभाग का नाम : .....

पद : .....

8. मै/हम अपनी निविदा के साथ वांछित धरोहर धनराशि जमा करूंगा/करेंगे तथा इसका पूर्ण विवरण निविदा प्रप्रत्र पर देंगे। बिना वांछित धरोहर राशि के निविदा डालने पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण को अधिकार होगा कि मुझे/हमें छः माह के लिए नई निविदा डालने से वंचित कर दे।

प्राधिकरण में पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण हेतु निम्न तथा प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा समय—समय पर निर्धारित अन्य नियम व शर्तें मुझे/हमें मान्य होगी।

1. पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण कराने के लिए भवन निर्माण/विकास कार्यों व बिजली के कार्यों तथा हार्टीकल्चर कार्य के लिए अलग—अलग पंजीकरण/नवीनीकरण /उच्चीकरण शुल्क देय होगा तथा अलग—अलग फार्म के माध्यम से आवेदन करना होगा।
2. बिजली के कार्यों के लिये बिजली का 'ए' श्रेणी का लाइसेन्स लगाना अनिवार्य होगा जो पंजीकरण/नवीनीकरण के वित्तीय वर्ष के लिये वैध हो।
3. पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण तीन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक का होगा।
4. हैसियत का आंकलन सभी भागीदारों के हैसियत को जोड़कर किया जायेगा।
5. आवेदक के पास स्वंय का अथवा लीज, हायर परचेज अनुबन्ध के आधार पर वर्किंग कण्डीशन में कार्य की आवश्यकतानुसार सभी संयंत्र, उपकरण, औजार आदि की उपलब्धता के सम्बन्ध में शपथ पत्र देना होगा।
6. कार्यरत् इंजीनियर के नौकरी छोड़कर चले जाने पर 15 दिन के अन्दर दूसरा अभियन्ता रखना होगा और उसका पूर्ण विवरण सहित प्राधिकरण को देना होगा।(ऐरा 5 के अनुसार)
7. ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा प्राधिकरण के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी पर दबाव बानाने, दुर्व्यवहार करने, धमकी देने एवं लक्ष्यों के अनुसार कार्यों पर आवश्यक छानबीन के बाद बिना कोई कारण बताये पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसे ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
8. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग—7, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या— 3460/23-7-08-41एम.एस.ए./54टी.सी./।।। दिनांक 28 जुलाई, 2008 के अनुसार पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण हेतु ए, बी, सी, डी एवं ई सिविल श्रेणी, उद्यान तथा विद्युत कार्य हेतु कार्यालय वित्तीय हैसियत, पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण शुल्क व अनुभव का मापदण्ड निम्नवत् है:—

श्रेणी	निविदा हेतु अनुमन्य कार्यों की अनुमानित लागत	वित्तीय हैसियत (रु० लाख में)	जमानत की धनराशि (रु० लाख में)	पंजीकरण/उच्चीकरण शुल्क (वापस नहीं होगा)	तीन वर्ष हेतु नवीनीकरण शुल्क (वापस नहीं होगा)	अर्हताएं (मात्र गत तीन वित्तीय वर्ष में) पूर्ण किये कार्य
ए	2.5 करोड़ से अधिक	50.00	5.00	60,000/-	45,000/-	2.5 करोड़ के दो कार्य।
बी	1 करोड़ से अधिक 2.5 करोड़ तक	25.00	2.00	40,000/-	30,000/-	1 करोड़ के दो कार्य।
सी	25 लाख से अधिक 1 करोड़ तक	15.00	1.00	28,000/-	21,000/-	50 लाख के दो कार्य।
डी	10 लाख से अधिक 25 लाख तक	10.00	0.50	20,000/-	15,000/-	20 लाख के दो कार्य।
ई	10 लाख तक	1.00	0.25	8,000/-	6,000/-	—
उद्यान		1.00	0.25	8,000/-	6,000/-	उद्यान कार्य का अनुभव।
विद्युत		25.00	2.50	40,000/-	30,000/-	50 लाख के दो कार्य।

अर्हताएं में उल्लिखित सीमा के कार्य का पूर्णतः प्रमाणपत्र जो अधिशासी अभियन्ता से कम स्तर के अधिकारी का निर्गत न हो, ही मान्य होगा जो उपरोक्तानुसार गत तीन वर्षों में पूर्ण किये गये हो। पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण के लिए अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

9. पांचों श्रेणियों में प्रयागराज विकास प्राधिकरण में कार्यदायी पंजीकृत ठेकेदारों हेतु उच्चीकरण के लिये जिस श्रेणी में पंजीकृत है, उसका अनुभव मान्य होगा।

पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण के आवेदकों द्वारा विकास प्राधिकरण में विगत 2 वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रारूप पर संलग्न करना होगा।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	जोन/खण्ड	कार्यादेश	कार्य प्रारम्भ की तिथि (अनुबन्ध के अनुसार )	कार्य समाप्ति की तिथि (अनुबन्ध के अनुसार )	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति (% )में	क्र0 8 के सत्यापन हेतु सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

10. सिविल (भवन निर्माण/विकास/शिरोपरि आदि) तथा बिजली के कार्यों तथा हार्टीकल्वर कार्यों के लिए अलग—अलग पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण शुल्क देय होगा तथा किसी भी प्रकार के कार्यों के लिए ठेकेदार अपनी श्रेणी के लिए अनुमन्य सीमा के कार्यों की निविदायें क्रय करने के लिए ही पात्र होगे। बिजली के कार्य हेतु ३०प्र० राज्य विद्युत परिषद में पंजीकरण प्रमाण की प्रति नत्थी करना अनिवार्य होगा।

11. यदि पंजीकरण कराने वाले किसी ठेकेदार का अपराधिक इतिहास पाया जाय तो उसका पंजीकरण न किया जाय तथा पूर्व में पंजीकृत ठेकेदार का अपराधिक इतिहास पाये जाने पर उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

12. यदि यह पाया जाता है, कि कोई ठेका किसी व्यक्ति के नाम स्वीकृत किया गया है परन्तु वास्तव में वह कार्य किसी अन्य अपराधी व्यक्ति द्वारा कराया जा रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को दिये गये ठेके निरस्त कर दिये जायेगे।

13. अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के ठेकेदारों तथा बेरोजगार इंजीनियर ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु न्यूनतम आवश्यक हैसियत की धनराशि तथा सामान्य धनराशि की निर्धारित सीमा में ५० प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

14. कोई भी व्यक्ति मात्र एक फर्म का स्वामी अथवा पार्टनर हो सकता है किसी अन्य फर्म में उसकी अथवा पार्टनरशिप अनुमन्य नहीं होगा। इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। किसी भी अन्य श्रेणी अथवा फर्म में एक स्थान के अतिरिक्त नाम होने पर समस्त संबंधित ठेकेदार/फर्म का पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। सिविल तथा विद्युतीकरण कार्यों की श्रेणी अलग—अलग मानी जायेगी।

15. एक से अधिक फर्म आवेदन पत्र और शपथ पत्र में दिये विवरण से संतुष्ट हो जाने पर उपाध्यक्ष अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ठेकेदारों को पंजीकरण आदेश दिया जायेगा। आवेदक के चरित्र एवं अन्य विवरण सक्षम अधिकारी से सत्यापित करा लेने के उपरान्त ही ऐसे व्यक्ति का नाम ठेकेदार के रूप में पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण के उपरान्त भी सत्यापन में अनियमितता पाये जाने पर पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा ऐसे मद में जमा धन जब्त कर लिया जायेगा।

16. पंजीकृत ठेकेदार को विकास प्राधिकरण की निविदायें देने के की समान शर्तों व निर्देशों का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा। निविदा, अनुबन्ध, स्टाम्प ड्यूटी, व्यापार कर, आयकर, सर्विस टैक्स एवं अन्य के संबंध में विकास प्राधिकरण या शासन द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों या उपर्युक्त नियमों में संशोधन ठेकेदार को मान्य होगा।
17. प्रत्येक ठेकेदार नियमावली, विनियमों, उपविधियों, शासन के सामान्य और विशिष्ट निर्देशों तथा आदेशों, विकास प्राधिकरणों के आदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा/उल्लिखित प्राविधानों, आदेशों तथा निवेशों की अवज्ञा अथवा अनुबन्ध एवं उसकी शर्तों के उल्लंघन पर उसका नाम पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण रजिस्टर से काट दिया जायेगा। और उसका नाम काली सूची में प्रविष्ट कर दिया जायेगा उसके उपरान्त उसे निविदायें प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
18. पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण तीन वित्तीय वर्ष में ही एक ही बार किया जायेगा।
19. आवेदित फर्म के प्रोपराइटर/भागीदारों/फर्म के द्वारा दाखिल किसी भी प्रपत्र के गलत अथवा कूटरचित पाये जाने पर फर्म का पंजीकरण तत्काल निरस्त करते हुये काली सूची में डाल दिया जायेगा।
20. पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण हेतु उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।  
मुझे/हमें पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण हेतु आवश्यक सभी नियम और शर्त मान्य हैं तथा मैं इनका पूर्णता पालन करूंगा/करेंगे।

नाम/फर्म का नाम  
हस्ताक्षरकर्ता का नाम  
हस्ताक्षर  
(मोहर सहित)

संलग्नक:

- मैं/हम पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण हेतु निम्न प्रमाण पत्र संलग्नक कर रहा हूँ:-
1. नोटरी का सत्यापित शपथपत्र की मैं/फर्म कभी किसी राजकीय विभाग/राजकीय संस्थान/सार्वजनिक प्रतिष्ठान द्वारा काली सूची में प्रविष्ट नहीं किया गया हूँ तथा प्रधिकरण में ठेकेदारी हेतु अन्य किसी श्रेणी अथवा फर्म में मेरा नाम स्वामी/पार्टनर के रूप में सम्मिलित नहीं है।
  2. चरित्र प्रमाण पत्र(फर्म के सभी भगीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र मूल निवास के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत होना चाहिए जो पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण के वित्तीय वर्ष के लिये वैध हो कि स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही साथ आवेदन पत्र उसके प्रत्येक संलग्न अभिलेख पर आवेदक के हस्ताक्षर होना भी अनिवार्य है, उक्त के अभाव में प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा उसे स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा इसके लिये आवेदक को अलग से सूचित नहीं किया जायेगा।
  3. वर्तमान आयकर अदेयता प्रमाण पत्र (आयकर अधिकारी द्वारा निर्गत)।
  4. अनुभव प्रमाण पत्र: (कम से कम अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी द्वारा निर्गत हो जिसमें स्पष्ट रूप से विभाग, कार्यों का नाम, धनराशि व निर्धारित समय अवधि में संतोषजनक रूप में सम्पादित कार्य का विवरण हो) उक्त प्रमाण पत्र जो पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण के वित्तीय वर्ष के विगत तीन वित्तीय वर्षों के हो, ही मान्य होगे। गत वर्ष की श्रेणी में पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण के लिये अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

5. प्राधिकरण के साथ—साथ अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/सार्वजनिक विभाग के अधीन वर्तमान में अपूर्ण/निर्माणाधीन किन्तु स्वीकृति कार्य जिनके कार्यादेश निर्गत हो चुके हैं निम्नवत् हैं निम्न प्रारूप में स्वच्छ रूप से भरकर संलग्न करना होगा।

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्यादेश सं०/दिनांक	निविदा लागत	संबंधित/खण्ड	विभाग
कुल योग					

6. हैसियत प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा नवीनतम् जारी किया गया है।
- 6.1 शासनादेश संख्या: 14/2017/2170/23-7-17-176(सा०)/06 दिनांक 13.12.2017 के बिन्दु 3 (अ) अनुसार पी०डब्लू०डी० टी०-५ (हैसियत प्रमाण पत्र) दो या अधिक साझेदारों वाली फर्म/कम्पनी के नाम से पंजीकरण कराते समय फर्म/कम्पनी के नाम का हैसियत प्रमाण पत्र मान्य होगा। इस संबंध में किसी प्रकार का शपथ पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- 6.2 शासनादेश संख्या: 14/2017/2170/23-7-17-176(सा०)/06 दिनांक 13.12.2017 के बिन्दु 3 (ब) अनुसार पी०डब्लू०डी० टी०-५ (हैसियत प्रमाण पत्र) आवेदित फर्म के एकल स्वामित्व (सोल प्रोपराइटर) के नाम का होना अनिवार्य है। इस संबंध में किसी प्रकार का शपथ पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
7. चरित्र प्रमाण पत्रः— सभी भागीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र 3 वर्षों की वैधता।
8. नोटरी का सत्यापित शपथ पत्रः—
- (I) किसी विभाग द्वारा काली सूची में प्रविष्ट नहीं किया गया है।
  - (II) अन्य किसी श्रेणी अथवा फर्म में स्वामी/पार्टनर के रूप में सम्मिलित नहीं है।
9. फर्म का पैन नं० एवं निजी पैन नं०
10. व्यापार कर अदेयता प्रमाण पत्र एवं रजिस्ट्रेशन नं०
11. जी०एस०टी० नम्बर
12. कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में पंजीकरण नं०:— राज्य सरकार लेबर एक्ट के अधीन/संनिर्माण कार्य कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत श्रमिकों का पंजीकरण प्रति।
13. वर्तमान आयकर अदेयता प्रमाण पत्रः— (आयकर अधिकारी द्वारा निर्गत)
14. अन्य विभागों में किये गये कार्यों का विवरण।
15. इस आशय का शपथ पत्र देना होगा, कि प्रस्तुत किये गये अभिलेख यदि असत्य पाये जाते हैं, तो फर्म के पंजीकरण को निरस्त करते हुये विभाग विधिक कार्यवाही करने को स्वतन्त्र होगा।

16. फर्म ऐसोसियेशन/कम्पनी जिसमें भागीदार हो—

- (अ) फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
- (ब) पंजीकृत पार्टनरशिप डीड की प्रमाणित प्रतिलिपि।
- (स) फर्म के सभी भागीदारों के नवीनतम 03 फोटोग्राफ (एक फोटो फार्म में चर्चा करनी है व दो फोटो अलग से नथी करनी है)।
- (द) फर्म के अधिकृत प्रतिनिधियों के नाम, पते फोन नं० सहित (स्थायी/अस्थायी)
- (य) फर्म के सभी भागीदारों के वित्तीय हैसियत का प्रमाण पत्र।
- (र) टेक्निकल स्टाफ की सूची।
- (ल) मशीनरी टी० एण्ड पी की सूची।
- (व) आवेदन पुस्तिका शुल्क एवं पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण शुल्क की जमा की छायाप्रति।
- (श) बैंक का नाम

नाम/फर्म का नाम  
हस्ताक्षरकर्ता का नाम  
हस्ताक्षर  
(मोहर सहित)

**नोट:**—प्रत्येक पृष्ठ एवं संलग्नको पर ठेकेदारों/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के मोहर सहित हस्ताक्षर (स्व प्रमाणित) अनिवार्य होगे। अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इस हेतु अलग से सूचित नहीं किया जायेगा।

प्राधिकरण के वेबसाइट ([pdaprayagraj.in](http://pdaprayagraj.in)) से डाउनलोड किये जाने की दशा में भी आवेदन पुस्तिका के मूल्य ₹० 1,180.00 (पुस्तिका का मूल्य ₹० 1000.00 + 18% GST) की धनराशि प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत यूको बैंक, मुख्य शाखा, सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद में प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज के खाता सं०—00320204000449 IFSC Code - UCBA0000032 में NEFT/ RTGS द्वारा जमा करते हुये रसीद की स्व-हस्ताक्षरित प्रति संलग्न की जानी होगी अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण को अधिकार होगा, कि वह किसी भी ठेकेदार का पंजीकरण बिना कारण बताये अस्वीकार कर दें।

## शपथ—पत्र का प्रारूप

(जनरल स्टाम्प पेपर ₹0 10/- पर)

(समस्त आवेदनकर्ताओं के लिये)

नवीनतम  
पासपोर्ट  
साइज फोटो

समक्ष— मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

मिनजानिब.....पुत्र.....सोल प्रोपराइटर/साझीदार फर्म.....  
.....साकिन.....बहलफ निम्न बयान करता हूँ:-

1. यह कि मेरे द्वारा वर्ष ..... में निर्धारित प्रपत्रों के साथ प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रयागराज में सिविल .....श्रेणी/उद्यान/विद्युत में पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण हेतु आवेदन किया गया है।
2. यह कि मेरी फर्म किसी विभाग द्वारा डिबार/काली सूची में दर्ज किया गया है।
3. यह कि मेरी फर्म के पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण के पश्चात यदि प्राधिकरण को किसी स्तर से डिबार/काली सूची में दर्ज होने की सूचना प्राप्त होती है तो उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण को मेरे/हमारे पंजीकरण/नवीनीकरण को निरस्त कर देने एवं पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु जमा की गयी धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। जिसके विरुद्ध मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई वाद दायर नहीं किया जायेगा।
4. यह कि मेरी फर्म प्रयागराज विकास प्राधिकरण एवं किसी अन्य विभाग में किसी अन्य के साथ पार्टनरशिप नहीं है।
5. यह कि मेरी फर्म के पास सिविल कार्य/उद्यान कार्य/विद्युत कार्य से सम्बन्धित समस्त उपकरण उपलब्ध है/उपलब्ध करा दिया जायेगा।

उपरोक्त लगायत 1 से 5 तक सत्य एंव सही है। इसमें न कुछ छिपाया गया है और न ही कुछ झूठ है।

शपथकर्ता

## शपथ-पत्र का प्रारूप

(जनरल स्टाम्प पेपर रु0 10/- पर)

(समस्त आवेदनकर्ताओं के लिये)

समक्ष— मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

नवीनतम  
पासपोर्ट  
साइज फोटो

मिनजानिब.....पुत्र.....सोल प्रोपराइटर/साझीदार फर्म.....

.....साकिन.....बहलफ निम्न बयान करता हूँ:-

1. यह कि मेरे द्वारा वर्ष ..... में निर्धारित प्रपत्रों के साथ प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रयागराज में सिविल .....श्रेणी/उद्यान/विद्युत में पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण हेतु आवेदन किया गया है।
  2. यह कि पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण हेतु आवेदन के साथ जो प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं वे सभी सत्य एवं वास्तविक तथ्यों पर आधारित हैं यदि इनमें कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है तो उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण को मेरे/हमारे पंजीकरण/नवीनीकरण को निरस्त कर देने एवं पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु जमा की गयी धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
  3. यह कि यदि उक्त पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण के पश्चात यदि प्राधिकरण द्वारा कोई कार्य मुझे आंवटित किया जाता है तथा कार्य आवंटन के पश्चात भी, उक्त बिन्दु-1 व 2 के अनुसार यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण को मेरे विरुद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने तथा प्रश्नगत कार्य हेतु जमा धरोहर धनराशि जब्त करते हुये कार्य का आवंटन निरस्त करने एवं शेष कार्य मेरे हर्जे खर्च पर कराये जाने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके विरुद्ध मेरे द्वारा किसी प्रकार का काई वाद दायर नहीं किया जायेगा।
  4. यह कि मेरे/हमारे द्वारा पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण हेतु प्रस्तुत किये गये अभिलेख यदि असत्य अथवा कूटरचित पाये जाते हैं तो फर्म के पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण को निरस्त करते हुये विधिक कार्यवाही हेतु प्रयागराज विकास प्राधिकरण विधिक कार्यवाही करने को स्वतन्त्र होगा।
- उपरोक्त लगायत 1 से 4 तक सत्य एवं सही है। इसमें न कुछ छिपाया गया है और न ही कुछ झूठ है।

शपथकर्ता

## शपथ—पत्र का प्रारूप

(जनरल स्टाम्प पेपर रु0 10/- पर)

(समस्त आवेदनकर्ताओं के लिये)

नवीनतम  
पासपोर्ट  
साइज फोटो

समक्ष— मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

मिनजानिब.....पुत्र.....सोल प्रोपराइटर/साझीदार फर्म.....

.....साकिन.....बहलफ निम्न बयान करता हूँ:-

1. यह कि मेरे द्वारा वर्ष ..... में निर्धारित प्रपत्रों के साथ प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रयागराज में सिविल .....श्रेणी/उद्यान/विद्युत में पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण हेतु आवेदन किया गया है।
2. यह कि शपथकर्ता का अपराधिक इतिहास पाया जाय तो उसका पंजीकरण न किया जाय तथा यदि शपथकर्ता पूर्व सें पंजीकृत है तो अपराधिक इतिहास पाये जाने पर उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाये।
3. यह कि शपथकर्ता अथवा उसकी फर्म के पक्ष में कोई ठेका/कार्य स्वीकृत किया गया है परन्तु वास्तव में वह कार्य किसी अन्य फर्म /अपराधी व्यक्ति द्वारा कराया जा रहा है तो शपथकर्ता/फर्म के पक्ष में स्वीकृत कार्य को प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिये जाये।

उपरोक्त लगायत 1 से 3 तक सत्य एंव सही है। इसमें न कुछ छिपाया गया है और न ही कुछ झूठ है।

शपथकर्ता

## शपथ—पत्र का प्रारूप

नवीनतम  
पासपोर्ट  
साइज फोटो

(जनरल स्टाम्प पेपर ₹० 10/- पर)

(सिविल श्रेणी—ए, बी, व सी, के आवेदनकर्ताओं के लिये)

समक्ष— मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

मिनजानिब.....पुत्र.....सोल प्रोपराइटर/साझीदार फर्म.....

.....साकिन.....बहलफ निम्न बयान करता हूँ:-

1. यह कि मेरे द्वारा वर्ष ..... में निर्धारित प्रपत्रों के साथ प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रयागराज में सिविल .....श्रेणी में पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण हेतु आवेदन किया गया है।
2. यह कि मेरी फर्म में विभागीय कार्य हेतु आवश्यक अभियन्ता उपलब्ध है।

उपरोक्त लगायत 1 से 2 तक सत्य एंव सही है। इसमें न कुछ छिपाया गया है और न ही कुछ झूठ है।

शपथकर्ता

## शपथ—पत्र का प्रारूप

(जनरल स्टाम्प पेपर रु0 10/- पर)

(समस्त आवेदनकर्ताओं के लिये)

समक्ष— मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

नवीनतम  
पासपोर्ट  
साइज फोटो

मिनजानिब.....पुत्र.....सोल प्रोपराइटर / साझीदार फर्म.....

.....साकिन.....बहलफ निम्न बयान करता हूँ:-

1. यह कि मेरे द्वारा वर्ष ..... में निर्धारित प्रपत्रों के साथ प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रयागराज में सिविल .....श्रेणी में पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण हेतु आवेदन किया गया है।
  2. यह कि मेरी फर्म में जीसएस0टी0 संख्या.....ई0पी0एफ0 संख्या.....ई0एस0आई0 की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।
  3. यह कि शपथकर्ता के पास स्वयं का अथवा लीज़, हायर परचेज अनुबन्ध के आधार पर वर्किंग कण्डीशन में कार्य की आवश्यकतानुसार सभी संयंत्र, उपकरण, औजार आदि की उपलब्धता कराना सुनिश्चित करेगा।
- उपरोक्त लगायत 1 से 3 तक सत्य एंव सही है। इसमें न कुछ छिपाया गया है और न ही कुछ झूठ है।

शपथकर्ता

## प्रपत्र टी-06 का प्रारूप

(जनरल स्टाम्प पेपर रु0 100/- पर)  
(समस्त आवेदनकर्ताओं के लिये)

नवीनतम  
पासपोर्ट  
साइज फोटो

मैं ..... (मेसर्स) ..... )पुत्र.....  
निवासी—.....

मैं शपथपूर्वक धोषणा करता हूँ—

1. मैं प्रयागराज विकास प्राधिकरण में श्रेणी—सिविल/उद्यान/विठ्ठल में निर्धारित प्रपत्रों के साथ पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण हेतु अनुरोध किया गया है। मेरे पास पर्याप्त चल एवं अचल संपत्ति है और व्यवसायिक रूप से मैं प्रयागराज विकास प्राधिकरण के कार्यों को पूरा करने के लिए सक्षम और समर्थ हूँ। मेरे पास आवश्यक मशीने और उपकरण आदि भी है, तथा मुझे इस कार्य का पर्याप्त अनुभव है।
2. प्रयागराज विकास प्राधिकरण विभाग द्वारा जो (कार्य का विवरण लिखा जाये)..... कराने की निविदा निर्गत की गयी है, उसके लिये मैं विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निविदा भर रहा हूँ।
3. मेरे द्वारा दिये जा रहे प्रमाणपत्र चरित्र प्रमाणपत्र/हैसियत प्रमाणपत्र/आयकर प्रमाणपत्र/व्यापार कर प्रमाणपत्र/पत्र/जमानत धनराशि आदि का प्रमाणपत्र तथा अन्य सुसंगत अभिलेख आदि मूल रूप में निविदा पत्र के साथ संलग्न कर दिये गये हैं।
4. (अ) मेरा पैन नं0..... है। (आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण संलग्न किया जाय)
- (ब) जी0एस0टी0 नं0.....
5. मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमों का विवरण निम्न प्रकार है। यहाँ पूरा विवरण दिया जाये—
  1. मुकदमा नं0.....
  2. धाराएं.....
  3. थाना..... कोई नहीं.....
  4. जनपद.....
  5. न्यायालय(जहाँ मुकदमा चल रहा है).....
6. मैं लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार की श्रेणी में नहीं आता हूँ। मैं आपराधिक गतिविधियों, माफिया तथा गैंगस्टर गतिविधियों और संगठित अपराध करने की गतिविधियों और असमाजिक कार्य आदि में लिप्त नहीं हूँ। मैं माफिया और अपराधी नहीं हूँ। मेरा चाल चलन उत्तम है।
7. मेरे विरुद्ध जनपद में तथा प्रदेश में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है।
9. यदि ठेका प्राप्त करने के पश्चात मेरे विरुद्ध माफिया गतिविधियों/असमाजिक गतिविधियों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के बारे में कोई शिकायत प्रमाणित पायी जाती है, तो समक्ष अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह मेरे विरुद्ध मुकदमा नियमों के अन्तर्गत दर्ज करायें।

10. मैं अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार समय से पूरी गुणवत्ता के साथ तथा निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप कार्य पूरा करूंगा और विभाग को पूरा सहयोग प्रदान करूंगा।
11. मेरा कार्य एवं आचरण उत्तम है।
12. मैं शपथकर्ता घोषणा करता हूँ कि मेरा स्थायी पता और अस्थायी पता निम्न प्रकार हैं—
  - (अ) स्थायी पता (दूरभाष सहित).....
  - (ब) अस्थायी पता (दूरभाष सहित).....
13. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ तथा विभाग द्वारा प्रदान किये गये कार्य को पूरा होने तक मेरे पते में सामान्यतः कोई परिवर्तन होता है, तो मैं तत्काल अधिशासी अभियन्ता, प्रयागराज विकास प्राधिकरण और जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर को दूर्गा।
14. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि विभाग के जिस कार्य के लिये मेरे द्वारा ठेका प्राप्त करके मूल रूप से संलग्न किया जायेगा। यह भी घोषणा करता हूँ कि इस हैसियत प्रमाण पत्र का उपयोग अन्य कार्यों के लिये नहीं किया जायेगा।
15. मैं अपनी पूर्ण जानकारियों में पूरे होशो हवाश में स्वस्थचित्त से पूरी सत्यनिष्ठा से यह शपथपत्र लिख कर दे रहा हूँ। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक:—

शपथकर्ता का हस्ताक्षर  
 पूरा नाम.....  
 पता.....  
 मोबाइल नं. ....